

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/एल आर/4078/98/टोंक

1. जगन्नाथ वल्द रामदेवा जाति बलाई निवासी देवल्या पट्टी  
गूजरान तहसील मालपुरा जिला टोंक
2. प्रभु वल्द रामदेवा जाति बलाई निवासी देवल्या पट्टी  
गूजरान तहसील मालपुरा जिला टोंक
3. गोपाल पुत्र रामदेवा जाति बलाई निवासी देवल्या पट्टी  
गूजरान तहसील मालपुरा जिला टोंक
4. श्रीमती मीरा पुत्री रामदेव जाति बलाई निवासी देवल्या  
पट्टी गूजरान तहसील मालपुरा जिला टोंक



अपीलार्थीगण

बनाम

1. रामकिशन पुत्र हरनाथ जाति गूजर निवासी देवल्या पट्टी  
गूजरान तहसील मालपुरा जिला टोंक
2. नारायण पुत्र कल्याण जाति गूजर निवासी देवल्या पट्टी  
गूजरान तहसील मालपुरा जिला टोंक
3. स्टेट आफ राजस्थान

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ

श्री आनन्द कुमार सदस्य

उपस्थित

श्री जे.के.पुरोहित अभिभाषक अपीलार्थी

श्री ओंकार लाल अभिभाषक प्रत्यर्थी

सत्य प्रतिलिपि

निर्वाहक  
राजस्व मण्डल राजस्थान,  
अजमेर

निर्णय

दिनांक 15-11-98

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व  
अपील अधिकारी टोंक के निर्णय दिनांक 12-5-98 के

COMPARE BY


विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार मालपुरा के आदेश दिनांक 13-8-62के द्वारा अपीलार्थीगण के पिता रामदेव बलाई को ग्राम देवल्या पट्टी गूजरान स्थित आराजी खसरा नम्बर 97/2 रकबा 9बीघा 3विस्वा भूमि आवंटन की गई थी। आवंटनी की मृत्यु हो चुकी है। अपीलार्थीगण आवंटनी के वारिसान हैं। आवंटनी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने हेतु प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत किया। विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 4-1-97के द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व2 ने राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 12-5-98के द्वारा अपील स्वीकार कर आवंटनी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषकगण ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि विवादग्रस्त आराजी का उनको विधिवत आवंटन किया गया है। विद्वान राजस्व अपील अधिकारी ने कयास के आधार पर निर्णय पारित किया है। प्रत्यर्थी की स्थिति एक अतिकमी से अधिक नहीं है और अतिकमी के कब्जे की भूमि को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि माना गया है।

COMPARE BY





राजस्थान  
राजस्व मण्डल राजस्व विभाग  
जयपुर  
16/11



5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि स्व. रामदेवा पुत्र लालू बलाई की तहसीलदार मालपुरा द्वारा आराजी खसरा नम्बर 97/2 रकबा 9बीघा 3विस्वा भूमि का दिनांक 13-8-62को विधिवत आवंटन किया गया है। आवंटन के बाद आवंटी को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। आवंटी के पक्ष में हुये आवंटन के बाद प्रत्यर्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के न्यायालय में इसी आराजी को लेकर घोषणात्मक वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 11-5-72को डिकी हुआ। इसके विरुद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील दायर की जिन्होंने उपखण्ड अधिकारी के निर्णय व डिकी को निरस्त कर दिया। इस निर्णय की पालना में तहसीलदार मालपुरा द्वारा आवंटित भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के पक्ष में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये लेकिन प्रत्यर्थीगण द्वारा इस आदेश की अपील उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के न्यायालय में प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30-7-87द्वारा नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 14-2-84को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड किया। उपखण्ड अधिकारी के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थीगण ने सम्भागीय आयुक्त अजमेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 16-5-89 द्वारा उक्त अपील को स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी मालपुरा के निर्णय दिनांक 30-7-87को निरस्त कर दिया।

स्व. प्रतिलिपि

16/11  
निवेदन  
राजस्व मण्डल राजस्वार्थ  
अजमेर

COMPARE BY



8. इस आवंटन को हुये लगभग 48-49वर्ष हो चुके है लेकिन आवंटन के बाद प्रत्यर्था पक्ष द्वारा पहले घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जो अन्ततोगत्वा खारिज हो गया और उसके बाद नामान्तरकरण की अपील सम्भागीय आयुक्त के न्यायालय तक प्रस्तुत हुई। सम्भागीय आयुक्त द्वारा आवंटनी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को बहाल रखा और अब यह अपील आवंटनी को किये गये आवंटन के विरुद्ध है।

9. राजस्व मण्डल ने आर आर डी 1992पेज127, आर आर डी 1994पेज381 एवं मण्डल द्वारा पारित अन्य निर्णयों में अतिकमी के कब्जे की भूमि को आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि माना गया है। अतिकमी का ऐसी भूमि पर विशेष हित उसी दशा में समझा जावेगा जबकि उसने ऐसी भूमि को अपने पक्ष में नियम किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हो। यदि अतिकमी द्वारा नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तो अतिकमी को आवंटन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकरण में आवंटनी को विधिवत भूमि का आवंटन किया गया है और आवंटन के बाद उसे खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। आवंटनी भूमिहीन काश्तकार है। प्रत्यर्थागण द्वारा ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आवंटनी रामदेवा द्वारा तथ्यों को छिपाकर अथवा गलत तथ्य पेश कर आवंटन कराया हो। यह तथ्य भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि आवंटनी वक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार नहीं था। प्रत्यर्थागण के खाते में काफी मात्रा में लगभग 65बीघा भूमि है और बड़े भूमि धारी व्यक्ति हैं तथा प्रत्यर्थागण का नियमन हेतु कोई प्रार्थना पत्र भी विचाराधीन नहीं है। प्रत्यर्थागण साधन सम्पन्न व्यक्ति हैं। इस कारण आवंटनी जो एक अनुसूचित जाति का सदस्य है के कब्जे काश्त में लगातार दखल दे रहे हैं। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये आवंटनी के पक्ष में किये गये आवंटन को राजस्थान भू



सत्य प्रतिलिपि

निबंधक  
राजस्थान मण्डल राजस्थान,  
जयपुर

COMPARE BY

राजस्व( कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन)नियम 1970के नियम 14(4)के प्रावधानों के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता है।

10. अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-5-98निरस्त किया जाता है। आवटी स्व.रामदेवा पुत्र बालू बलाई निवासी देवल्या पट्टी गूजरान के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर97/2रकबा 9बीघा 3विस्वा का दिनांक 13-8-62को किया गया आवंटन यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



COMPARE BY

16/1/12

(आनन्द कुमार)  
सदस्य

राजस्व प्रतिलिपि

7611  
निर्देशक  
राजस्व मण्डल राजस्थान,  
जयपुर